10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

219

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

निग-862-II-16

1. लक्ष्मीप्रसाद पटेल तनय टिढी पटेल
2. नन्हेलाल पटेल तनय टिढी पटेल
3. विनोद पटेल तनय स्वामी प्रसाद पटेल
4. जानकी पटेल तनय हल्के पटेल
5. शिवदयाल तनय हल्के पटेल

निवासी ग्राम परा तह. राजनगर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

डी.के. पारसी (RS) -14/03/16

14/3/16

विरूद्ध

1. देवीदीन तनय मोहनलाल पटेल
2. परमानन्द तनय मंगलदीन पटेल
3. मातादीन तनय मंगलदीन पटेल
4. संतोष तनय मंगलदीन पटेल
5. प्रीतम तनय मंगलदीन पटेल
6. राजकुमार तनय मंगलदीन पटेल
7. नन्नीबाई बेवा मंगलदीन पटेल
   सभी निवासी ग्राम महाराजगंज तह. व जिला छतरपुर
8. प्रकाश पटेल तनय स्वामीप्रसाद पटेल
9. अनिल तनय स्वामीप्रसाद पटेल
10. कट्टूबाई वेवा स्वामीप्रसाद पटेल
    निवासी ग्राम परा तह. राजनगर जि छतरपुर
11. सल्लू पुत्री मंगलदीन पटेल पत्नि रमेश पटेल
    निवासी बेनीगंज तह. राजनगर जिला छतरपुर
12. सुषीला पुत्री मंगलदीन पटेल पत्नि जागेश्वर पटेल
    निवासी ग्राम गुनापुरवा तह राजनगर जिला छतरपुर
13. बिटटीबाई पत्नि नाथूराम पटेल
14. भुमानीबाई पत्नि जगतराज पटेल
15. खिसिया पत्नि छिकोडीलाल
    निवासी ग्राम सौरा तह. व जिला छतरपुर
16. दुलीचंद तनय मूलचंद पटेल
17. रामस्वरूप तनय मूलचंद पटेल
18. रमेश तनय मूलचंद पटेल
19. चिरोंजीलाल तनय हीरालाल पटेल

2

20. रामचरन तनय हीरालाल पटेल
21. नरेश तनय किशोरीलाल
22. धनियां तनय किशोरीलाल
23. लाडकुंवर वेवा महेन्द्र
24. अंकित ना.बा.
25. अभिषेक ना.बा.
26. अनिकेत ना.बा. पुत्रगण महेन्द्र पटेल
    बली सरपस्त मां लाडकुवंर वेवा महेन्द्र
27. लौकेश तनय रामेश्वर पटेल
28. महेष तनय बिहारीलाल
29. भागचन्द्र तनय बिहारीलाल
30. रामेश्वर तनय बिहारीलाल
31. राकेश तनय धनीराम
32. कृपाशंकर तनय धनीराम
33. नरेन्द्र तनय धनीराम
34. लड्डू बेवा धनीराम

निवासी ग्राम परा तह. राजनगर जिला छतरपुर ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अपील/अ–27/14–15 पारित आदेश दिनांक 18/12/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महाराजगंज तह. छतरपुर के भूमि खसरा क्र 1007, 1008, 1009, 1010, 1071, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 कुल किता 17 रकवा 34.54 एकड भूमि 1/2 हिस्सा पर प्यारेलाल तनय धसीटे कुर्मी तथा शेष 1/2 हिस्से पर रामसहाय कुर्मी के वारसान हीरालाल, मूलचंद्र, धनीराम का नाम एंव टिढी तनय भूरे व हल्के तनय भूरे का नाम दर्ज था।

2. यह कि, भूरे पटेल के तीन पुत्र थे जो रामसहाय, टिढी, एव हल्के थे। रामसहाय पटेल के चार पुत्र थे जो मूलचंद, बिहारीलाल हीरालाल, धनीराम थे चारों फौत हो चुके है तथा टिढी के तीन पुत्र है लक्ष्मीप्रसाद, स्वामीप्रसाद, एंव नन्हेलाल जिसमें से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

— 3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-862-दो/2016 जिला छतरपुर लक्ष्मीप्रसाद विरूद्ध देवीदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी.के.पासी एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अपील/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

10.01.19

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य